सख्या-100/2025/I/932025/2025/71-1002(099)/1/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 09 अप्रैल, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत सेंट्रल लाइब्रेरी के विस्तार के कार्य के सम्बन्ध में त्रुटि संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या-73/2025/I/917365/2025/71-1002(099)/1/2024, दिनांक 26.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत सेंट्रल लाइब्रेरी के विस्तार के कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 533.17 लाख (रू0 पॉच करोड़ तैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) के स्थान पर उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2025 के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश रू0 537.17 लाख (रू0 पॉच करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) अंकित हो गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2025 के प्रस्तर-3 में **पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 533.17 लाख (रू0 पॉच करोड़ तैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र) पढ़ा व समझा जाय।**

4- शासनादेश संख्या-73/2025/I/917365/2025/71-1002(099)/1/2024, दिनांक 26.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।